

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के प्रमुख योगदान—जीवन, इतिहास और कार्य

Dr. Anil Kumar, Associate Professor, Department of Political Science, S.D. College,
Muzaffarnagar. U.P.

Mail.ID.: anilumar.sdcollege@gmail.com

Mob.No.9412578188,9870937356

1.1 प्रस्तावना

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था, वह अपने माता-पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे। वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबासाहेब के पिता संत कबीर दास के अनुयायी थे और एक शिक्षित व्यक्ति थे। डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर लगभग दो वर्ष के थे जब उनके पिता नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए थे। जब वह केवल छह वर्ष के थे तब उसकी मां का निधन हो गया था। बाबासाहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की। अपने स्कूली दिनों में ही उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है।

डॉ. अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ही कर रहे थे। दुर्भाग्यवश, डॉ. अंबेडकर की मां की मौत हो गई। उनकी चाची ने उनकी देखभाल की। बाद में, वह मुंबई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान, वह अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद उनकी शादी एक बाजार के खुले छप्पड़ के नीचे हुई। डॉ. अंबेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे से की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। स्नातक पूरी करने के बाद अनुबंध के अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वह बड़ौदा में थे तब उनके पिता की मौत हो गई, वर्ष 1913 में डॉ. अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया। यह उनके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में क्रमशः एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वह ग्रेज इन में वकालत के लिए भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डीएससी की तैयारी करने की भी अनुमति प्राप्त हुई लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुला लिया। बाद में, उन्होंने बार-एट-लॉ और डीएससी की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन किया।

उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध पढ़ा। 1916 में, उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश—एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपना थीसिस लिखा और अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसे आठ वर्षों के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद, बाबासाहेब भारत वापस लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने अपना सैन्य सचिव नियुक्त किया जिससे कि उन्हें लंबे समय में वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके।

डॉ अंबेडकर मुंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाने लगे। जैसा कि वह अच्छी तरह पढ़ाते थे, वह छात्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन उन्होंने लंदन में अपनी कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। 1921 में, उन्होंने अपनी थीसिस लिखी, "ब्रिटिश भारत में इंपीरियल फाइनेंस का प्रांतीय विकेंद्रीकरण" और लंदन विश्वविद्यालय से अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय गुजारा। 1923 में, उन्होंने डीएससी डिग्री के लिए अपनी थीसिस पूरी की— ऋण की समस्या रु इसका उद्भव और समाधान। उन्हें 1923 में वकीलों के बार में बुलाया गया।

1924 में इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद, उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाड़ अध्यक्ष और डॉ अंबेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था।

उन्होंने नए सुधार को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए 03 अप्रैल, 1927 को 'बहिस्कृत भारत' समाचारपत्र की शुरुआत की। 1928 में, वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे में प्रोफेसर बने और 01 जून, 1935 को वह उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने और 1938 में अपना इस्तीफा देने तक उसी पद पर बने रहे।

13 अक्टूबर, 1935 को, दलित वर्गों का एक प्रांतीय सम्मेलन नासिक जिले में येवला में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उनकी घोषणासे हिंदुओं को गहरा सदमा लगा। उन्होंने कहा, "मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा" उनके हजारों अनुयायियों ने उनके फैसले का समर्थन किया। 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसीडेंसी महार सम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म का त्याग करने की वकालत की।

15 अगस्त, 1936 को, उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए "स्वतंत्र लेबर पार्टी" का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। 1938 में, कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। डा अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका दृष्टिकोण था कि नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। 1942 में, वह भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। 1946 में, उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की, "शूद्र कौन थे"? आजादी के बाद, 1947 में, उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

1952 में, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें एलएलडी की डिग्री प्रदान की। 1955 में, उन्होंने झापाई राज्यों पर विचार नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। डॉ. बीआर अंबेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी, 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। आखिरकार 21 वर्षों के बाद, उन्होंने सच साबित कर दिया, जो उन्होंने 1935 में येओला में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को, उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और 06 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई।

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को 1954 में नेपाल के काठमांडू में "जगतिक बौद्ध धर्म परिषद" में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा "बोधिसत्व" की उपाधि से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉ. अंबेडकर को जीवित रहते हुए ही बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और स्वतंत्रता के बाद इसके सुधारों में भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा बाबासाहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबासाहेब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था।

डॉ. अंबेडकर का प्रकाशवान जीवन दर्शाता है कि वह विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। सबसे पहले, उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्र राजनीति, कानून, दर्शन और समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जहां पर उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने और पुस्तकालयों में नहीं बिताया। उन्होंने आकर्षक वेतन के साथ उच्च पदों को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह दलित वर्ग के अपने भाइयों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए पुरजोर कोशिश की।

डॉ. भीमराव के जीवन के इतिहास से गुजरने के बाद, उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन और विश्लेषण करना बहुत आवश्यक और उचित है। एक विचार के अनुसार तीन बिंदु हैं जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है। डॉ. अंबेडकर के विचार और कार्य इन समस्याओं का समाधान करने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं।

1.2 डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर

डॉ. अम्बेडकर ने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बी.ए. की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण, 1913 में उन्हें बड़ौदा राज्य के तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए और पीएचडी करने के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। 1916 में उनकी मास्टर थीसिस का शीर्षक था "ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त"। उन्होंने "भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शाही वित्त के प्रांतीय विकेंद्रीकरण में एक अध्ययन" विषय पर अपनी पीएचडी थीसिस प्रस्तुत की।

कोलंबिया के बाद, डॉ. अंबेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (एलएसई) में पंजीकरण कराया, और कानून का अध्ययन करने के लिए ग्रेज इन में दाखिला लिया। हालांकि, धन की कमी के कारण, उन्हें 1917 में भारत लौटना पड़ा। 1918 में, वह सिडेनहैम कॉलेज, मुंबई (तत्कालीन बॉम्बे) में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बन गए। इस दौरान, उन्होंने सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग करते हुए साउथबोरो समिति को एक बयान प्रस्तुत किया। 1920 में, कोल्हापुर के छत्रपति शाहूजी महाराज की वित्तीय सहायता से, एक मित्र से व्यक्तिगत ऋण और भारत में अपने समय की बचत के साथ, डॉ. अंबेडकर अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए लंदन लौट आए। 1922 में, उन्हें बार में बुलाया गया और वे बैरिस्टर-एट-लॉ बन गये। उन्होंने एलएसई से एमएससी और डीएससी भी पूरा किया। उनकी डॉक्टरेट थीसिस बाद में "रुपये की समस्या" के रूप में प्रकाशित हुई।

भारत लौटने के बाद, डॉ. अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा (बहिष्कृत लोगों के कल्याण के लिए सोसायटी) की स्थापना की और भारतीय समाज की ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित जातियों के लिए

न्याय और सार्वजनिक संसाधनों तक समान पहुंच की मांग के लिए 1927 में महाड सत्याग्रह जैसे सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उसी वर्ष, उन्होंने मनोनीत सदस्य के रूप में बॉम्बे विधान परिषद में प्रवेश किया।

इसके बाद, डॉ. अम्बेडकर ने 1928 में संवैधानिक सुधारों पर भारतीय वैधानिक आयोग, जिसे 'साइमन आयोग' भी कहा जाता है, के समक्ष अपनी बात रखी। साइमन आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप 1930–32 के बीच तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, जहाँ डॉ. अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया था अपना निवेदन प्रस्तुत करने के लिए। 1935 में, डॉ. अम्बेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया, जहाँ वे 1928 से प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे थे। इसके बाद, उन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य (1942–46) के रूप में नियुक्त किया गया। 1946 में वे भारत की संविधान सभा के लिए चुने गये। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद, उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। संविधान सभा के सदस्य महावीर त्यागी ने डॉ. अंबेडकर को "मुख्य कलाकार" के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने "अपना ब्रश अलग रखा और जनता के देखने और टिप्पणी करने के लिए चित्र का अनावरण किया"। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की और बाद में भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने, ने कहा "सभापति पर बैठकर और दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही को देखते हुए, मुझे एहसास हुआ कि कोई और नहीं कर सकता था, किस उत्साह के साथ। और प्रारूप समिति के सदस्यों और विशेषकर इसके अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने अपने उदासीन स्वास्थ्य के बावजूद भी निष्ठापूर्वक कार्य किया। हम कभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सके जो इतना सही था या हो सकता था जब हमने उन्हें मसौदा समिति में रखा और उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया। उन्होंने न केवल अपने चयन को सही ठहराया है, बल्कि जो काम उन्होंने किया है, उसमें और भी चमक ला दी है।"

1.3 डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा दलित अधिकारों की वकालत

विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, डॉ. बी.आर. अंबेडकर 1920 के दशक के आरंभ में भारत लौटे। उस समय भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय ने भीमराव रामजी को जातिगत भेदभाव के उन्मूलन और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान की आजीवन यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित किया। बाबासाहेब का पूरा जीवन इसी उद्देश्य के इर्द-गिर्द घूमता रहा। उनका मानना था कि अछूतों की सामाजिक स्थिति में सुधार केवल उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व से ही संभव है। इसलिए उन्होंने अपने समाचार पत्रों, सामाजिक-सांस्कृतिक मंचों और सम्मेलनों के माध्यम से अछूतों को संगठित करना शुरू किया। 1924 में, डॉ. भीमराव ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जिसका उद्देश्य दलितों में शिक्षा को बढ़ावा देना और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था। उन्होंने दलितों की चिंताओं को आवाज देने के लिए "मूक नायक", "बहिष्कृत भारत" और "समानता जनता" जैसी कई पत्रिकाएँ भी शुरू कीं। बाबासाहेब अंबेडकर के नेतृत्व में शुरू हुए प्रमुख जन आंदोलनों में से एक 1927 का महाड सत्याग्रह था जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र के महाड में दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाना था। इसी प्रकार, 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन का उद्देश्य दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाना था। सामाजिक सुधार के लिए कानूनी रास्तों के महत्व को समझते हुए, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष दलितों का प्रतिनिधित्व भी किया।

1.4 डॉ.बी.आर. अंबेडकर का राजनीतिक जीवन

कई दशकों तक फैले डॉ. बी.आर. अंबेडकर के राजनीतिक सफर में एक विधायक, एक पार्टी नेता, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भूमिकाएं शामिल थीं।

1.4.1 प्रारंभिक राजनीतिक जुड़ाव

औपचारिक राजनीति में अपने पहले महत्वपूर्ण कदम के रूप में, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने दलितों और श्रमिक वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। पार्टी ने 1937 के बॉम्बे प्रेसीडेंसी चुनावों में भाग लिया और कुछ हद तक सफलता प्राप्त की, जिससे बाबासाहेब एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती के रूप में स्थापित हुए। दलितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक केंद्रित राजनीतिक प्रयास की आवश्यकता को पहचानते हुए, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 1942 में स्वतंत्र लेबर पार्टी को अनुसूचित जाति संघ में परिवर्तित कर दिया। संघ का स्पष्ट उद्देश्य दलितों को राजनीतिक कार्रवाई के लिए संगठित करना था हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इसे महत्वपूर्ण चुनावी सफलता प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ा।

1.4.2 भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना

भारतीय राजनीति में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की सबसे अमिट विरासत संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका है, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि इस दस्तावेज में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत समाहित हों। अस्पृश्यता का उन्मूलन और कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधानों का समावेश जातिगत भेदभाव और असमानता की बुराइयों से मुक्त एक स्वतंत्र भारत के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है।

1.4.3 स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री

1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, डॉ. बी.आर. अंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में देश का पहला विधि एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान हिंदू संहिता विधेयक का परिचय था, जिसका उद्देश्य हिंदू व्यक्तिगत कानून को संहिताबद्ध और सुधारित करना तथा महिलाओं को व्यक्तिगत मामलों में समान अधिकार प्रदान करना था। हालांकि, यह विधेयक संसद द्वारा पारित नहीं हो सका, जिसके कारण बाबासाहेब ने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।

1.4.4 बौद्ध धर्म में धर्मांतरण और उसके बाद के वर्ष

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की बौद्ध धर्म में रुचि उनके प्रारंभिक करियर में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि वे सामाजिक न्याय और समानता की खोज में विभिन्न दर्शनों और धर्मों का अध्ययन कर रहे थे। 1935 में येओला (नासिक) में आयोजित दलित वर्गों के एक प्रांतीय सम्मेलन में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि—"मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा"। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में आयोजित एक विशाल सार्वजनिक समारोह में डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर ने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका यह निर्णय केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक चुनाव ही नहीं था, बल्कि हिंदू जाति व्यवस्था को नकारने के उद्देश्य से उठाया गया एक राजनीतिक और सामाजिक कदम भी था।

1.5 डॉ. बी.आर. अंबेडकर के प्रमुख योगदान

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का भारतीय समाज में योगदान व्यापक और विविध है, जो एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और विद्वान के रूप में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है। उनके कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान के निर्माता रू संभवतः उनकी सबसे अमिट विरासत भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने भारतीय संविधान को इस प्रकार आकार दिया ताकि भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अवधारणा में डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1925 में, उन्होंने भारतीय मुद्रा और वित्त पर गठित रॉयल कमीशन (हिल्टन यंग कमीशन) के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की स्थापना का समर्थन किया। उनके विचारों ने आयोग की सिफारिशों को काफी हद तक प्रभावित किया, जो 1934 के आरबीआई अधिनियम का आधार बनीं – वह कानून जिसने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना की।

1.6 जातिगत भेदभाव के खिलाफ योद्धा

उन्होंने अपने पूरे जीवन में दलितों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों के लिए जोरदार अभियान चलाया, इस प्रकार भारत में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया। समाज सुधारक और शिक्षाविद रू शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को समझते हुए, बाबासाहेब ने दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने महाविद्यालयों की स्थापना की और दलित समुदाय को जाति और सामाजिक असमानता के बंधनों को तोड़ने के साधन के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।

1.7 महिला अधिकारों के समर्थक

डॉ. अंबेडकर महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार लाने के लिए काम किया, जो महिलाओं के साथ भेदभाव करते थे। उन्होंने हिंदू संहिता विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य विरासत, विवाह और तलाक के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना था।

1.8 श्रम सुधार

आधिकारिक पद ग्रहण करने से पहले ही, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अपने संगठन स्वतंत्र श्रमिक दल (आईएलपी) के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की वकालत की। बाद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में, उन्होंने भारत में श्रम सुधारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1.8.1 डॉ.बी.आर.अंबेडकर की विरासतें

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अपने अनेक योगदानों के माध्यम से देश के सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। समकालीन भारत में, उनकी विरासत को विभिन्न स्मारकों, संस्थानों और आयोजनों के माध्यम से याद किया जाता है। वर्तमान भारत में उनकी विरासत के कुछ प्रमुख प्रतीक निम्नलिखित हैं।

1.8.2 राजनीति में प्रभाव

डॉ. अंबेडकर के विचार और सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और विचारधाराओं को आकार देना जारी रखते हैं। कई राजनीतिक दल, विशेषकर हाशिए पर स्थित समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल, भीमराव रामजी अंबेडकर की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी शिक्षाओं को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करते हैं।

1.8.3 शिक्षा एवं जागरूकता

डॉ. अंबेडकर के जीवन और विचारों के बारे में शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयास निरंतर जारी हैं। विद्यालय, महाविद्यालय और सामुदायिक संगठन उनके उपदेशों का प्रसार करने और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठी, कार्यशालाएँ और अध्ययन मंडल आयोजित करते हैं।

1.9 डॉ. बी.आर. अंबेडकर की उपलब्धियाँ

भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता

मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हाशिए पर पड़े समूहों के लिए मौलिक अधिकारों, अस्पृश्यता के उन्मूलन और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को सुनिश्चित किया।

समाज सुधारक

उन्होंने दलित अधिकारों की वकालत की, जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महाद मार्च जैसे आंदोलन शुरू किए और सामाजिक समानता के लिए बौद्ध धर्म में सामूहिक धर्मांतरण को बढ़ावा दिया।

कानूनी सुधार

स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्रीय उन्होंने श्रम सुधार, काम के घंटों में कमी और महिलाओं के अधिकारों के प्रस्ताव रखे, जिनमें हिंदू संहिता विधेयक भी शामिल था (हालांकि बाद में इसे खारिज कर दिया गया)।

आर्थिक योगदान

उन्होंने आर्थिक नियोजन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, वित्त आयोग और कर्मचारी राज्य बीमा एवं भविष्य निधि जैसी श्रम कल्याण योजनाओं में योगदान दिया।

शैक्षिक अग्रणी

वंचित समुदायों में शिक्षा की वकालत कीय सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की।

राजनीतिक नेतृत्व

प्रथम विधि मंत्रीय राज्यसभा सदस्यय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण नीति को प्रभावित किया।

1.10 निष्कर्ष

डॉ. बी.आर. अंबेडकर एक असाधारण नेता थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की वकालत की, बल्कि दलित समुदाय के उत्थान और मुक्ति के लिए भी विशेष प्रयास किए। उन्होंने जाति व्यवस्था की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कार्य किया और वंचितों के राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष शुरू किया। अंबेडकर महाद सत्याग्रह (1927) जैसे आंदोलनों में अग्रणी थे, जिसका उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच दिलाना था। उन्होंने दलित वर्गों की शिक्षा और अधिकारों के लिए संगठन भी स्थापित किए। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मौलिक अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन और सामाजिक समावेशन के लिए सकारात्मक कार्रवाई, सभी को शामिल किया जाए। मुख्य रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख नेताओं से भिन्न, अंबेडकर ने एक न्यायपूर्ण राष्ट्र की कुंजी के रूप में सामाजिक स्वतंत्रता पर जोर दिया।

1. बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर एक बहुमुखी भारतीय व्यक्तित्व थे, जिनका जीवन और कार्य देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को लगातार प्रभावित कर रहा है। समाज के हाशिए से उठकर स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च नेताओं में से एक बनने तक का उनका सफर पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।
2. बाबासाहेब अंबेडकर का दर्शन सामाजिक न्याय, राजनीतिक सुधार और आर्थिक समानता सहित कई मुद्दों को समाहित करता था, जो लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर आधारित था।
3. डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की प्रसिद्धि और अमिट विरासत भारत के प्रति उनके बहुआयामी योगदान से उपजी है। हालांकि, वे मुख्य रूप से भारत के संविधान के मसौदा तैयार करने और दलित अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रसिद्ध हैं।
4. संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि समानता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों के सिद्धांत इस दस्तावेज में निहित हों।

सन्दर्भ

- वसंत मून (संस्करण), डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर लेखन और भाषण, (डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, 2019) (पुनः मुद्रित)
- धनंजय कीर, डॉ. अम्बेडकर जीवन और मिशन, (लोकप्रिय प्रकाशन, 2019 पुनर्मुद्रण)
- अशोक गोपाल, ए पार्ट अपाटर्न लाइफ एंड थॉट ऑफ बी.आर. अम्बेडकर, (नवायन पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2023)

- नरेंद्र जाधव, अंबेडकररू अवेकनिंग इंडियाज सोशल कॉन्शियस, (कोणार्क पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2014)
- विलियम गोल्ड, संतोष दास और क्रिस्टोफ जाफरलॉट (संस्करण), अंबेडकर इन लंदन, (सी. हर्स्ट एंड कंपनी पब्लिशर्स लिमिटेड, 2022)
- सुखदेव थोराट और नरेंद्र कुमार, बी.आर. अम्बेडकर: सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीतियों पर परिप्रेक्ष्य (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2009)